बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र010/ख0वि0अधि0– 10/2020 619 खाद्य/पटना/दिनांक– 05/02/2021

प्रेषक,

दयानन्द मिश्र भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में धान अधिप्राप्ति के लिए पैक्स/व्यापार मंडल को अनुमान्य आकस्मिक (Incidentals) व्यय के संबंध में।

प्रसंगः– भारत सरकार का पत्रांक no.-192(3)/2020-FC.A/cs दिनांक 13.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में धान अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा धान/सी0एम0आर0 चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ–साथ अधिप्राप्ति में संलग्न एजेन्सियों के लिए विभिन्न मदों में आकस्मिक (Incidentals) व्यय का प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य हो कि बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स/व्यापार मंडल को किसानों से धान अधिप्राप्ति का दायित्व दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आकस्मिकता के विभिन्न मदों में धान अधिप्राप्ति एजेन्सियों को दिये जाने वाले व्यय में से पैक्स/व्यापार मंडल को कितनी राशि देय होगी, इस विषय पर राज्य के नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्र संख्या– 834 दिनांक– 30.01.2021 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक की समीक्षोपरान्त पैक्स एवं व्यापार मंडलों के लिए निम्नांकित आकस्मिक (Incidentals) व्यय की दरें संसूचित की जा रही है :–

Particulars	Rate prescribed as per GOI (Rs per Qtl)	Amount Payble to PACS/Society for purchase of CMR (Rs per Qtl)	Rate prescribed as per GOI (Rs per Qtl)	Amount Payble to PACS/Society for purchase of CMR (Rs per Qtl)
	Proposed Rate of Raw Rice		**Proposed Rate of Parboiled Rice**	
Mandi Labour Charges (Holding Charges)	8.84	8.84	8.84	8.84
Transporation Charges for transporation of paddy and Rice from purchase center to temporary stores point*	------	------	------	------
Driage @ 1% of the MSP	18.68	18.68	0	0
Commission to Societies	31.25	29.6875	31.25	29.6875
Custody and maintenance charges @ 2.40 per Qtl. for two month.	4.8	4.8	4.8	4.8
Interest charges for two month on MSP, VAT and Mandi Labour Charges.	27.92	27.92	27.92	27.92
Milling charges execluding Rs. 5.00 per Qtl. As transpotation charges for 0-8 KMS on each side from mills for paddy as well as rice	10.00	10.00	20.00	20.00
Total	101.49	99.93	92.81	91.25

Note : TDS on commission to Society is proposed to be deducted from the payment to PACS and if PAN no. is not provided by PACS TDS @ 20% should be deducted. It should also be noted that till March 2021 the rate of TDS is 3.75%.

* Transportation cost will be transferred once the transportation cost is received from the GOI.

** Usage charges will be paid if the claim is raised along with the certificate as per the guidelines sanction no. 15-14/2018-PyIII dated 13.12.2018. According to the guidelines, usage charges @ Rs. 12.66 per quintal CMR will be payble if bags are purchased by the PACS.

2 परिवहन दर मद में भुगतान किये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में दर का निर्धारण कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। भारत सरकार से परिवहन दर मद हेतु प्रस्तावित दर के अनुमोदनोपरांत उक्त दर को खरीफ विपणन मौसम, 2020–21 में अधिप्राप्ति अभिकरणों को भुगतान किया जायेगा।

3 भारत सरकार के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों को गन्नी बैग के भुगतान आदि मद में पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित Usage Charges भुगतान का प्रावधान किया गया है। उक्त के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में Usage Charges के रूप में प्रति क्वीं0 सी0एम0आर0 पर 12.66 रूपये का भुगतान राज्य के अधिप्राप्ति अभिकरणों को किया जाएगा, परन्तु उपर्युक्त भुगतान की राशि प्राप्त करने हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा अधिप्राप्ति अभिकरणों यथा पैक्स तथा व्यापार मंडलों से उनके द्वारा एक बार प्रयोग में लाये गये गन्नी बैग्स का क्रय एवं उपयोग किये जाने से संबंधित लेखा संधारित करना होगा तथा उक्त संधारित लेखाओं का अंकेक्षण कराकर सहकारिता विभाग को समर्पित किया जाएगा एवं सहकारिता विभाग उपर्युक्त अंकेक्षित लेखाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के स्तर से निर्धारित विहित प्रपत्र के अनुरूप प्रमाण पत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समर्पित किया जाएगा । तदोपरान्त भारत सरकार से Usage Charges के रूप में राशि प्राप्त कर भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी।

4 समितियों के कमीशन मद के लिए स्वीकृत राशि से नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती कर पैक्स एवं व्यापार मंडलों को भुगतान किया जाएगा। यदि पैक्स एवं व्यापार मंडलों के द्वारा इस हेतु पैन संख्या बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, तो टी0डी0एस0 की कटौती 20 प्रतिशत की दर से की जायेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि माह मार्च, 2021 तक टी0डी0एस0 कटौती दर 3.75 % निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों सहित सभी पैक्स/व्यापार मंडल को इस निदेश से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0– 10/2020 619 खाद्य/पटना/दिनांक– 05/02/2021

प्रतिलिपि – सचिव–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0– 10/2020 619 खाद्य/पटना/दिनांक– 05/02/2021

प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0– 10/2020 619 खाद्य/पटना/दिनांक– 05/02/2021

प्रतिलिपि – सभी जिलों के प्रभारी मा0 मंत्री /सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/ प्रशासक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0– 10/2020 619 खाद्य/पटना/दिनांक– 05/02/2021

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना तथा आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने तथा ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\backup\Year_2018(Sec_10)\2015\KMS 2015-16.doc